कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वन मण्डल टीकमगढ़ (म.प्र.)
पता : ढोंगा स्टेडियम के पीछे, बार्ड नं. 15 के समीप ईको सेन्टर टीकमगढ़ म.प्र. 472001
ई–मेल : dfotkmgar@mp.gov.in फोन नं. : 07683-245315 फेक्स नं. : 245315

क्रमांक / मा.चि. / 2022 / 835 टीकमगढ़, दिनांक – 09/02/2023

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
टीकमगढ़ (म.प्र.)

विषय :– **जिला टीकमगढ़ अन्तर्गत सतधारा तालाब सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 39.00 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।**

सन्दर्भ :– **(1) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय, क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्र भोपाल का पत्र क्रमाक–एमपीसी 040 / 2020–बीएचओ दि. 19.01.2023**
(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुडा भवन मध्य प्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–3 / 55 / 2018 / 10–11 / 5 / 314 दिनांक 24.10.2023

विषयान्तर्गत लेख है, कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवतन मंत्रालय एकीकृत कार्यालय भोपाल द्वारा संलग्न संदर्भ क्रमांक–1 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के संदर्भ क्रमांक–2 के माध्यम से प्रकरण में प्रथम चरण की सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तो के अनुसार निम्नानुसार पालन करते हुये शर्तवार पालन–प्रतिवेदन शीघ्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त प्रकरण में अंतिम चरण की औपचारिक स्वीकृति संबंधी कार्यवाही की जावेगी :–

क्र0	योजना का नाम	मद	राशि
1	शर्त क्रमांक A(1) के पालन में 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अनुसार	ऑनलाईन ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद में	24376874.00
2	शर्त क्रमांक A(4) के पालन में 39 हेक्टेयर की नेट प्रजेन्ट वैल्यु की	ऑनलाईन ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद में	37353420.00
3	CAT Plan अनुसार राशि	ऑनलाईन ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद में	1404318.00
		योग राशि–	**63134612.00**

(राशि शब्दो में–छः करोड़ इक्तीस लाख चौतीस हजार छः सौ बारह रूपये मात्र)

शर्त क्रमांक A(2, 3) के पालन में प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि को वन विभाग के नाम हस्तांतरण / नामांतरण कराकर फार्म पी–2 एवं कब्जा रसीद, सत्यापित पटवारी नक्शा सहित आदि की प्रति प्रस्तुत की जावे।

वनमण्डलाधिकारी
क्षेत्रीय वन मण्डल, टीकमगढ़

पृ0 क्रमांक / मा.चि. / 2023 / 836 टीकमगढ़, दिनांक– 09/02/2023

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) म.प्र. सतपुडा भवन की ओर आपके संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. उपवनमण्डलाधिकारी टीकमगढ़ / वनपरिक्षेत्राधिकारी बल्देवगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है, कि प्रकरण में कलेक्टर टीकमगढ़ के संलग्न आदेशानुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि को वन विभाग के नाम हस्तांतरण / नामांतरण कराकर फार्म पी–2 एवं कब्जा रसीद, सत्यापित पटवारी नक्शा, खसरा नकल सहित आदि की प्रति प्रस्तुत की जावे।

वनमण्डलाधिकारी
क्षेत्रीय वन मण्डल, टीकमगढ़